नीतिगत निर्णय एवं क्रियान्विति

प्रशासनिक सुधार विभाग

राज्य में अब नौकरी के लिए आवेदन में 1 जनवरी, 2015 से स्वःप्रमाणित दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।

कृषि विपणन विभाग

कृषि विपणन विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2014 द्वारा राजस्थान राज्य की 'विशिष्ठ', 'अ' व 'ब' श्रेणी की मण्डियों में फल एवं सब्जी मण्डियों को छोड़कर 'किसान कलेवा योजना 2014' लागू तथा सी एवं द श्रेणी की मण्डियों में भी आर्थिक स्थिति के अनुसार तथा विशिष्ट अ व ब श्रेणी की 56, 2 स श्रेणी की एवं 2 गौण मण्डियों में यह योजना लागू हो चुकी है।

मुहाना जयपुर परिसर में पृथक से पुष्प मण्डी प्रागंण की स्थापना की गई।

पशुपालन विभाग

गोपालन विभाग की स्थापना की गई।

ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को अधिक गुणात्मक बनाकर इनके नियोजित एवं चरणबद्ध विकास हेतु ''राज्य आयुष नीति'' तैयार की जाएगी, जिसमें इन चिकित्सा पद्धतियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, औषधि निर्माण में गुणात्मक अभिवृद्धि, वनौषधि क्षेत्रों का विकास तथा विभागीय चिकित्सालयों की सेवा का विस्तार आदि के सम्बन्ध में दृष्टिपत्र तैयार किया जा रहा है।

सीधी भर्ती हेतु बोनस अंको का पुनर्निधारण– राज्य में रिक्त पड़े 2595 चिकित्साधिकारी तथा 1605 नर्स कम्पाउण्डर जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु बोनस अंकों की अधिसूचना में बोनस अंक 30 के स्थान पर 15 प्रतिशत किये जाने के संशोधित आदेश जारी किये गये। चिकित्साधिकारी तथा नर्स, कम्पाउण्डर जूनियर ग्रेड के पदों हेतु प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की गई है।

नागरिक उड्डयन विभाग

राज्य में एयर टेक्सी प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

राज्य में कृषकों की समस्या समाधान हेतु नांता कृषि फार्म पर प्रिस्क्रिप्शन सेवा नांता कृषि सलाह पर्ची देने का कार्य दिनाकं 02.01.2014 से आरम्भ किया गया है तथा 1482 कृषकों की समस्याओं का समाधान कर लाभांवित किया गया है।

कार्मिक विभाग

TSP AREA लिए पृथक से Service Cadre का गठन किये जाने हेतु दिनांक 28.01.2014 को नियम बनाये गये तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 4.03.2014 को जारी की चुकी है।

अधीनस्थ सेवा बोर्ड का विधिवत गठन किया गया है तथा बोर्ड द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

संवेदनशील सूचना की सुरक्षा के लिये राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बनाने का निर्णय लिया गया है।

सचिवालय स्थित उच्च अधिकारियों तथा सचिवालय में दिन प्रतिदिन सरकारी कार्य हेतु आने वाले आगंतुकों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये वाई–फाई हॉट स्पॉट की स्थापना करने का निर्णय। सचिवालय के 206 स्थानों, अन्य सरकारी भवनों एवं आमेर महल में 363 स्थानों एवं राज्य के ब्लाक स्तर के 291 स्थानों सहित कुल 860 स्थानों पर वाई–फाई हॉट स्पॉट की सुविधा स्थापित कर दी गयी है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

रीट के माध्यम से अध्यापक भर्ती–तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हेतु पूर्व में ली जा रही दो परीक्षाओं के स्थान पर REET करने का निर्णय लिया जा चुका है। REET परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को दी गई है।

रीडिंग कैम्पेन– कक्षा–3, 4, 5 के विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने (हिन्दी एवं अंग्रेजी) एवं गणित की मूलभूत संक्रियाओं की दक्षताओं को पूर्ण नहीं करने वाले बच्चों को फोकस करते

हुए समूह शिक्षण के आधार पर सभी बच्चों में उनकी कक्षाओं की दक्षताओं के अनुरूप लाने के सुनियोजित प्रयास के तहत रीडिंग कैम्पेन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

मेधावी छात्रों को लेपटोप/टेबलेट उपलब्ध कराने की योजना– छात्र–छात्राओं की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु लैपटॉप योजना को व्यावहारिक और विस्तृत किये जाने के तहत कक्षा 8, 10 व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तर पर न्यूनतम 75 प्रतिशत या अधिक एवं जिला स्तर पर न्यूनतम 70 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांकों के आधार पर पात्र विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लैपटॉप वितरित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।

साईकिल वितरण योजना– वर्ष 2014–15 से राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को नकद राशि के स्थान पर साईकिल प्रदान करना प्रारम्भ किया गया है। अब तक 2,51,326 साईकिलों का वितरण किया जा चुका है।

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन– वर्ष 2014–15 में 70 विद्यालयों में 4 ट्रेडस (प्रत्येक विद्यालय में 2) यथा IT – ITES, Beauty & Wellness, Automobile एवं Health Care का चयन कर 1 जनवरी, 2015 से 70 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ की गयी तथा वर्ष 2015–16 में राज्य के 220 रा.उ.मा. विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ कर कक्षाएं दिनांक 01.08.2015 से प्रारम्भ हो गई है।

उच्च शिक्षा विभाग

2014–15 सत्र में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु परसेंटाइल का आधार लागू किया गया। एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त की गई।

2015–16 सत्र के लिए समस्त राजकीय महाविद्यालयों (180) में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस लागू किया गया।

संस्कृत शिक्षा विभाग

सामान्य शिक्षा की तरह संस्कृत विभागाधीन विद्यालयों के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग

प्रदेश में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा बी.टेक. छात्रों हेतु Petroleum Engineering Branch प्रारंभ की गई।

ऊर्जा विभाग

सर्तकता जाँचों के अन्तर्गत अधिक विद्युत भार पाये जाने पर VCR के माध्यम से किसानों से वसूली गयी अनियमित राशि हेतु आंतरिक अंकेक्षण दलों का गठन कर जाँच, राशि का समायोजन आगामी बिलों में कर दिया जावेगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा परंतु सभी पीडित पक्षकारों को अवश्य राहत प्रदान की जायेगी। कृषि कनेक्शन पर अधिक विद्युत भार पाये जाने पर VCR के माध्यम से किसानों से वसूल की गई अनियमित राशि की जाँच आंतरिक अंकेक्षण दलो से करवाई जाकर, 22931 प्रकरणों में 11.99 करोड रूपये के रिफण्ड–पत्र फरवरी, 2014 तक जारी कर राशि बिलों में समायोजित की गई।

पर्यावरण विभाग

राज्य में सौर, पवन ऊर्जा एवं लघु पन बिजली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 में पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त, 2014 के द्वारा संशोधन कर इस श्रेणी की परियोजनाओं को हरित श्रेणी में किया गया है। इस हेतु सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के सहमति प्रक्रिया का सरलीकरण कर आवेदन के 15 दिवस की अवधि में आवेदन निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वाणिज्य कर विभाग

भारतीय रेल के उत्तर–पश्चिमी जोन जयपुर को हाई स्पीड डीजल के विक्रय या उसके द्वारा क्रय को उस सीमा तक जहाँ तक उसके सम्बन्ध में कर की दर 14 प्रतिशत से अधिक हो, शर्तों पर कर से छूट प्रदान की गई।

व्यवहारियों से संवाद कायम करने के लिए सोशल मीडिया पर वाणिज्यिक कर विभाग की उपस्थिति दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर विभागीय प्रोफाइल सृजित कर दी गयी है।

राजस्थान में औद्योगीकरण एवं सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नयी नीति राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 जारी की गयी।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51ए के तहत जारी अधिसूचना की समय सीमा दिनांक 31.01.2015 तक बढ़ायी गयी।

प्रवेश कर की बकाया मांगों की वसूली हेतु नई एच्छिक एमनेस्टी स्कीम 2015 लागू की गयी।

आबकारी विभाग

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर एवं देशी मदिरा की दुकानों की संख्या क्रमश 1,000 एवं 6,660 यथावत रखी गयी हैं। मदिरा व्यवसाय पर एकाधिकार समाप्त किये जाने हेतु एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान आवंटित नही किये जाने का प्रावधान किया गया है।

कोई भी मदिरा दुकान शिथिलता के अन्तर्गत संचालित नहीं की जा रही है। शिथिलन से मदिरा दुकानों का संचालन का प्रावधान समाप्त कर दिया हैं।

व्यसनी को डोडा पोस्त 500.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से स्वीकृत मासिक मात्रा अथवा अधिकतम 10.00 किलोग्राम प्रतिमाह जो भी कम हो के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार– नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें मुख्यत दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानो पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार प्रसार का प्रावधान किया गया। इस उद्देश्य हेतु आबकारी राजस्व का 0.1 प्रतिशत (न्यूनतम रूपये 10 करोड़) आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

यदि किसी गांव या वार्ड के 20 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा उनके गांव/वार्ड में स्थित मदिरा की दुकान को बंद करने के लिए मांग की जाती है तो ऐसे आवेदन को सक्षम स्तर पर सत्यापित कर उस गांव/वार्ड में दुकान बंद करने के प्रस्ताव पर मतदान करवाये जाने एवं ऐसे मतदान में 51 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने पर आगामी वित्तीय वर्ष से ऐसे गांव में मदिरा दुकान संचालित नही किये जाने का प्रावधान किया गया हैं।

मदिरा बोतलो पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन– मदिरा के प्रत्येक पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी 'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं' का लेबल पर एक निर्धारित साईज में सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी को हिन्दी एवं अग्रेजी दोनों भाषाओं में सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जा रहा है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

कुछ उप तहसीलों में कही भी पंजीयन योजना को प्रभावी किया गया है।

राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 में संशोधन–

1. नया नियम 3–क जोडकर उप नियम (1) में स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी किस प्रकार की जायेगी, के प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी के नगद भुगतान को हतोत्साहित करने के लिये भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–आर्डर/ई–ग्रास चालान/ई–स्टाम्प से ही करने की व्यवस्था की गई है।
2. ई–स्टाम्पों को बढावा देने के लिये नियम 23 में संशोधन कर स्टाम्प वेण्डर द्वारा बेचे जाने वाले स्टाम्पों को प्रत्येक मामले में ''तीन लाख'' के स्थान पर ''एक लाख'' तक ही विक्रय करने का प्रावधान किया गया है।
3. यदि डीएलसी किसी वर्ष 31, मार्च तक कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों को पुनरीक्षित नहीं करती है तो ऐसे प्रवर्गों की भूमि दरों में अगले 1, अप्रेल से 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही मानी जायेगी।

राज्य सरकार के स्तर से कुछ श्रेणी की भूमियों की दरों का निर्धारण करनाः राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रयोजन, संस्थानिक प्रयोजन, खनन प्रयोजन, रिसोर्ट प्रयोजन, मैरिज गार्डन प्रयोजन, फार्म हाउस प्रयोजन एवमं कम्पनियों, फर्मो या संस्थाओं द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि की दरों का निर्धारण किया गया जो सम्पूर्ण राज्य में समान रूप से लागू होंगी।

निर्मित क्षेत्र की दरों का निर्धारणः निर्मित क्षेत्र की दरों का पुनः निर्धारण नये सिरे से किया गया है।

बहुमंजिला इमारतों में भूमि का मूल्यांकन करने के मानदण्ड निर्धारण करनाः बहुमंजिला इमारतों के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

पंजीयन शुल्क की राशि नगद जमा करने के प्रावधान को समाप्त करनाः विभिन्न उप पंजीयक कार्यालयों में नगर लेन–देन को समाप्त करने के लिये राजस्थान पंजीयन नियम–1955 के नियम–74 में संशोधन कर पंजीयन शुल्क की राशि नगद के स्थान पर डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर एवमं ई–ग्रास चालान के माध्यम से जमा कराने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान वित्त विधेयक 2014 के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 में संशोधन द्वारा निम्नलिखित नवीन प्रावधान किये गये :–

(1) कन्सेशन एग्रीमेन्ट, लीव एण्ड–लाईसेंस, विज्ञापन अनुबन्ध एवं ट्रासफरेबल डवलपमेन्ट राइट्स सर्टिफिकेट (TDR) पर स्टाम्प ड्यूटी प्रावधान।

(2) स्टाम्प ड्यूटी की राशि नगद के रूप में लिये जाने के प्रावधान को समाप्त कर डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर, ई–ग्रास चालान एवमं भौतिक स्टाम्प के रूप में लिये जाने का प्रावधान।

(3) स्टाम्प ड्यूटी एवं अधिभार 10 रूपये के पूर्णांक में लिये जाने का प्रावधान।

(4) मुद्रांक प्रकरणों में आरोपित की जाने वाली शास्ती में विवेकीय शक्तियों को समाप्त किया गया है।

(5) कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा किये गये एकपक्षीय निर्णयों में पीडित पक्षकारों को अपने प्रकरणों का गुणावगुण पर निर्णय प्राप्त करे एवं राजस्थान कर बोर्ड में बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आर्थिक भार से बचाने के लिए अधिनियम में नई धारा–52–ए जोडकर मुद्रांक प्रकरणों को रि–ऑपन करने का प्रावधान किया गया है।

(6) शास्ती या ब्याज की 25,000 रूपये तक की राशि में छूट प्रदान करने की शक्तियॉ महानिरीक्षक को प्रदान की गई है।

(7) बकाया राशि पर देय ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की गई।

राज्य में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली हेतु सहायक खनिज अभियन्ता को उनके क्षेत्राधिकार के लिये निर्धारण अधिकारी नियुक्त किया गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किया जाना–राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित 1000 उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किये जाने की कार्य–योजना दिनांक 12.03.2014 को विभाग के स्तर पर जारी कर सक्रिय उपभोक्ता क्लबों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुर्नगठन किया गया है।

1 अप्रेल, 2015 से ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड ऑनलाईन जारी किये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य के मूल निवासियों को पेंशन दिये जाने संबंधी नियम 2008 को बहाल किया गया है। जिससे दिनांक 30.4.2014 तक आवदेन करने वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ 1.1.2014 से देय होगा। सभी मीसा एवं डी. आई. आर. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/डीआईआर बन्दियों की पत्नी/पति को 12000 रूपये मासिक पेंशन एवं 1200 रूपये प्रतिमाह चिकित्सा सहायता राशि नकद देय होगी।

राज्य में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह संभाग एवं जिला स्तरों पर पुन आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे वहां का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2015 का आयोजन कोटा में किया गया।

वन विभाग

आदेश दिनांक 31.03.2015 से वन्यजीव एवं इनके हेबिटाट की सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टि से रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हेबिटाट, कुम्भलगढ वन्यजीव अभयारण्य तथा जवाई बांध लैपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा से एक कि.मी. दूरी तक सभी प्रकार की नई व्यावसायिक गतिविधियों (होटल सहित) एवं औधोगिक गतिविधियों (खनन सहित) को प्रतिबन्धित किया है। इस एक कि.मी. के क्षेत्र में राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि रूपान्तंरण किये जाने पर भी रोक लगाई है।

गृह विभाग

महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा 01 जनवरी, 2015 से जयपुर आयुक्तालय/जोधपुर आयुक्तालय व कोटा शहर में व्हाटएप का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया गया है। जिनमें पीडित महिलाएं व्हाटएप मोबाईल नम्बरों पर वीडियों रिकार्डिंग/क्लिपिंग/ओडियो/फोटो के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। व्हाटएप के नम्बर निम्न है–

जयपुर आयुक्तालय 08764868100/08764868200,

जोधपुर आयुक्तालयः 09530440800 एवं कोटा शहर : 09468800005

राजस्थान पुलिस द्वारा "RajCop Citizen" Mobile app (Both for Android & IOS platform) का निर्माण किया गया है। जिनमें आमजन को निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है–

Need Help– आपातस्थिति में पुलिस सहायता हेतु 'एप'।

100 'एप'– बटन को छुने मात्र से पुलिस कन्ट्रोल रूम से सम्पर्क।

महिला हेल्प लाईन– बटन को छुने मात्र से महिला हेल्प लाईन (1090) से सम्पर्क।

अपराध की सूचना– 'एप' में उपलब्ध इस सुविधा से कोई भी आपराधिक घटना की फोटो/विडियों बनाकर अपलोड कर सकेगा।

Verification of antecedents–(किरायेदार/घरेलू नौकर का चरित्र सत्यापन)–'एप' में किरायेदार/ घरेलू नौकर का चरित्र सत्यापन हेतु उसकी फोटो एवं अन्य जानकारी प्रेषित कर सत्यापन हेतु आवेदन कर सकेगा।

Vehicle Search– 'एप' में किसी भी वाहन का नम्बर प्रेषित करने पर नागरिक को वाहन के चोरी होने/वापिस मिलने तथा उसके इंजन व चेसिस नम्बर की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

आरएसी

राजस्थान पुलिस की नई स्थानान्तरण नीति तैयार की गई।

RIPS–2014 में दिये गये लाभ व छूट के फार्मस का डिजिटलीकरण करने व उनके आवेदन online उपलब्ध कराने हेतु एकल खिड़की तंत्र में सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही कुछ विभागों के लिंक्स जैसे कि, MSME, MOEF, RSPCB, RRECL तथा Labour को सिंगल विण्डो से जोड़ा गया है। एकल खिड़की योजना को अप्रवासी राजस्थानी, राज्यो के बाहर से आने वाले निवेशकों तथा अर्न्तराष्ट्रीय निवेशकों के लिये कम्यूटरीकृत सुविधा को दिल्ली में बीकानेर हाउस स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

राजस्थान वित्त निगम

राजस्थान वित्त निगम द्वारा शाखा स्तर पर ऋण स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय ऋण सलाहकार समिति (DLAC) को निम्नानुसार ऋण स्वीकृति करने हेतु प्राधिकृत किया गया– (अ) DLAC headed by प्रबन्धक शाखा–100 लाख (ब) DLAC headed by उप प्रबन्धक शाखा– 50 लाख।

निगम द्वारा महाप्रबन्धक ऑपरेशन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को रूपये 300.00 लाख तक के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

चालू वितीय वर्ष के दौरान निगम द्वारा राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्धेश्य से प्रचलित ब्याज दरों में माह जनवरी, 2015 से योजनानुसार 1.5 प्रतिशत की कमी की गयी।

निगम द्वारा एम.एस.एम. सर्विस सेंक्टर के 500.00 लाख तक के ऋण पर 0.75 प्रतिशत एवं 500.00 लाख से 2000.00 लाख तक ऋण पर 0.50 प्रतिशात ब्याज दर में कटौती की गयी।

निगम द्वारा फलैक्सी ऋण की सीमा 250 लाख से भी ज्यादा दिये जाने हेतु बढाई गयी।

निगम द्वारा हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेन्ट एवं अन्य टयूरिज्म गतिविधियों हेतु ऋण की पुर्नभुगतान की अवधि 10 वर्ष तक कर दी गयी एवं होटल, रेस्टोरेन्ट एवं पर्यटन सम्बन्धी इकाईयों के ऋण के पुर्नभुगतान हेतु बेलूनिंग सिस्टम लागू किया गया।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा रूपये 5 लाख से रूपये 10 करोड़ तक के ऋणों में प्रोसेसिंग शुल्क घटाकर 0.50 प्रतिशत किया गया।

निगम द्वारा आवेदन शुल्क वापसी की सीमा 75 प्रतिशत से बढाकर 90 प्रतिशत की गयी।

निगम द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में किये गये संशोधन जारी किये गये।

रीको द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र में होटल एवं हॉस्पीटल हेतु आवंटित भूमि पर निगम द्वारा ऋण प्रदान किये जाने हेतु योजना शुरू की गयी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन दिनांक 10.10.2014 से राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे।

श्रम विभाग

औद्योगिक निवेश, उत्पादन तथा रोजगारों के अवसरों को बढावा देने के लिए श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय – श्रम विभाग द्वारा औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के चैप्टर –V–B के लागू होने की श्रमिक संख्या 100 से बढाकर 300 की गई, छंटनी, सेवा मुक्ति व बर्खास्तगी आादि से संबधित विवाद उठाने की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई। प्रतिनिधि यूनियन का प्रमाण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु 15 प्रतिशत श्रमिकों की सदस्यता को बढाकर 30 प्रतिशत किया गया। धारा– 25– एन के तहत छंटनी किए गए श्रमिकों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए श्रमिकों को देय मुआवजा राशि में 3 माह की औसत मजदूरी के समान राशि अतिरिक्त देने का संशोधन किया गया। इसी के साथ संस्थान के बन्द होने की स्थिति में श्रमिकों को निर्धारित दर पर मुआवजे के अतिरिक्त 3 माह की औसत मजदूरी का भुगतान नियोजक द्वारा किया जावेगा। अधिनियम –1947 में पहली बार गो–स्लो को भी परिभाषित किया गया है।

ठेका श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम 1970 के लागू होने के लिए श्रमिकों की संख्या 20 से बढाकर 50 का संशोधन किया गया।

ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 एवं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र विशेषांक में क्रमश दिनांक 11 नवम्बर, 2014 एवं 12 नवम्बर, 2014 को जारी की गई।

कारखाना और बॉयलर विभाग

कारखाना अधिनियम, 1948 में कारखाना (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा निम्न संशोधन किये गये –

अधिनियम ऐसे कारखानों पर प्रभावी होना प्रस्तावित है जिनमें 20 या अधिक कर्मकार नियोजित किये जाते हैं (शक्ति की सहायता से विनिर्माण किया जाता हो) या

जिनमें 40 या अधिक कर्मकार नियोजित किये जाते हैं (बिना शक्ति की सहायता से विनिर्माण किया जाता हो)।

उपरोक्तानुसार धारा 85 में संशोधन किया गया ।

धारा 105 में संशोधन द्वारा परिवाद दायर किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी।

नयी धारा 106बी जोडे जाने से प्रथम अपराध का शमन किया जा सकेगा।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 राजस्थान राजपत्र दिनांक 11–11–2014 में प्रकाशित किया गया।

स्वायत्त शासन विभाग

नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं के मेयर, सभापति तथा अध्यक्ष का पूर्व की भांति जनता द्वारा निर्वाचित पार्षदगणों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नगरीय निकायो के प्रधान निर्वाचित किये जाने के तदनुसार नियमों में संशोधन किये गये।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

खननपट्टों के आवेदन–पत्र ऑनलाईन– प्रधान व अप्रधान खनिजों के आवेदन–पत्र ऑनलाईन लिये जा रहे है।

पंचायती राज विभाग

पंचायतों का पुनर्गठन– राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के अनुमोदन

पश्चाात राज्य में कुल 47 पंचायत समितियां नवसृजित, 64 पंचायत समितियां पुनर्गठित तथा 723 ग्राम पंचायते नवसृजित, 1423 ग्राम पंचायते पुनर्गठित किये जाने की अधिसूचना दिनांक 05.11.2014 को जारी की गई है।

पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु शौचालय की अनिवार्यता– पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय हो एवं परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाएं, इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 1) के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) की धारा 19 में संशोधन करते हुए नया खण्ड अन्तःस्थापित करने बाबत अधिसूचना दिनांक 08.12.2014 को जारी कर दी गई है।

पंचायत चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता– पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नांनुसार संशोधन किए गए है– जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो एवं अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो।

इस बाबत राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 2) के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) की धारा 19 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 20.12.2014 को जारी कर दी गई है।

भू–संरक्षण विभाग

भू–संरक्षण विभाग में त्रि–स्तरीय मोनिटरिंग व्यंवस्था जिला स्तर, पीआईए स्तर (पंचायत समिति) एवं जलग्रहण समिति स्तर (ग्राम पंचायत) पर लागू किया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

पूर्व में विकसित उत्तर–दक्षिण कोरीडोर की भॉति पूर्व–पश्चिमी कोरिडोर का विकास करना–पूर्व–पश्चिमी कोरिडोर योजना के लिए कोरिडोर चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन जन सहभागिता के आधार पर किया जायेगा। इस कारिडोर की कुल लम्बाई 1408 किलोमीटर है।

प्रथम चरण में 250 व अधिक आबादी के व द्वितीय चरण में 250 से कम आबादी के 65 प्रतिशत गावों को सड़कों से जोड़ना। प्रथम चरण में जुलाई, 2015 तक 250 व अधिक आबादी

के 1131 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है तथा 100 से 249 तक की आबादी के 116 गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया है।

20,000 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गो व मुख्य जिला सड़कों को विकसित करना– प्रथम चरण में 8910 किलोमीटर लम्बाई के 132 मार्गो का चयन किया गया है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में 0.50 से 2 कि.मी. लम्बाई में मय नाली सीमेन्ट क्रंक्रीट सड़क का निर्माण कर ग्रामीण गौरव पथ के रूप में 1800 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से आगामी तीन वर्षो में विकसित किया जायेगा– प्रथम चरण में 2105 पंचायत मुख्यालयों पर 2048 किलोमीटर लम्बाई में 1115 करोड़ रूपये की लागत से सीमन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण किये जाने के लिए स्वीकृति ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत दी गई। जुलाई, 2015 तक 261 करोड़ रूपये का व्यय कर 714 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग

गौशाला आवंटन अधिनियम, 1957 में गौशालाओं को विद्यमान लीज अवधि 20 वर्ष के साथ साथ इच्छुक आवेदकों को 30 वर्ष किये जाने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4(सी) में उद्योग स्थापना हेतु संपरिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि की आबादी से दूरी को राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल की गाईड लाईन तक सीमित किया गया है।

सैनिक कल्याण विभाग

राजस्थारन शौर्य पुरूस्कार (नकद पुरूस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत सेना, वायु सेना एवं नौ सेना मेडल धारकों को नकद पुरूस्कार राशि बढाकर 6.25 लाख रूपये तथा शौर्य चक्र धारकों को नकद पुरूस्कार राशि बढाकर 8.50 लाख रूपये कर दी गई है।

सेवारत सैनिकों एवं उनके परिजनों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु सैनिक कल्याण विभाग के अधीन सैनिक विश्राम गृह, बनीपार्क जयपुर में एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। कॉल सेंटर का टॉल फ्री नं0 18001806212 है। कॉल सेंटर स्थापना की सूचना विभागीय वेबसाईट पर उपलब्धं करवाई गई है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं को जिन्हें किसी भी स्त्रोत से पेंशन अथवा सहायता नहीं मिल रही है, को वर्तमान में दी जा रही 3 हजार रूपये प्रतिमाह की पेंशन को दिनांक 01.04.2015 से 4000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

दिनांक 1–4–1999 के पश्चा.त ऑपरेशन विजय तथा अन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों के माता–पिता के नाम पोस्ट आफिस में 1.50 लाख से स्थाई जमा खाता खोलने की राशि को बढ़ाकर रूपये 3.00 लाख कर दिया गया है।

दिनांक 1–4–99 के पश्चात विभिन्न इंसरजेंसी ऑपरेशन एवं देश हित में चलाये जा रहे ऑपरेशनों में शहीद के आश्रित एवं विकलांग सैनिकों को कारगिल पैकेज के तहत भूमि या मकान की ऐवज में दी जा रही 4 लाख रूपये की राशि को बढाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है। यह संशोधन 1–4–2015 के पश्चात arise होने वाले क्लेमों पर लागू होगा।

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य में बी.पी.एल. परिवारों के चयन हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जावेगा।

ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना में अपना गॉव अपना काम योजना एवं गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान योजना को संशोधित किया जाकर जनभागीदारी की राशि 10 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक रखे जाने हेतु निर्देश दिनांक 30.9.2014 को जारी किए गए हैं।

इंदिरा आवास/मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक बनाए गये आवासों का निरीक्षण अभियान चलाकर लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

आवास योजना के प्रत्येक लाभार्थियों को मिल रहे लाभों के विवरण सहित एवं निरीक्षण व शिकायत सम्बन्धी जानकारियों व दूरभाष नम्बर को समाहित करते हुए आवास अधिकार कार्ड दिया जाना अनिवार्य किया गया है। जिससे लाभार्थी को योजना की जानकारी मिलना सुनिश्चित हुआ है।

आवास योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर अनुदान राशि मिलना सुनिश्चित हो सके। इस हेतु विभाग द्वारा मोबाईल मोनिटारिंग सिस्टम प्रायोगिक रूप से जिला जालौर में वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया गया है। जिसके सकारात्मक परिणाम आये है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण व एक परम्परागत जल स्त्रोत को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किये जाने के तहत 50933 राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण व 5585 मॉडल तालाब स्वीकृत। व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों की अधिकतम व्यय सीमा 2.00 लाख से बढ़ाकर 3.00 लाख की गई है।

सामाजिक न्यांय एवं अधिकारिता विभाग

जर्जर आवसीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का चरणबद्ध रूप से मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण तथा शौचालय निर्माण का कार्य किया जावेगा। गत सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में निर्मित छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय भवनों की स्वतंत्र जांच एजेन्सी से जांच करवाई जाकर अनियमिता पाये जाने पर नियम अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

विभाग की 11 योजनाओं में जयपुर एवं जोधपुर जिलों में ऑनलाईन पोर्टल (SJMS) पर आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 22.07.2014 से प्रारंभ की गई है तथा अनुप्रति योजना का ऑनलाईन पोर्टल (SJMS) पर आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 23.12.2014 से सम्पूर्ण राजस्थान में प्रारंभ की गई है।

छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल (SJMS) पर आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 29.05.2015 से सम्पूर्ण राजस्थान में प्रारम्भ कर दी गयी है।

पर्यटन विभाग

नवीन पर्यटन इकाई नीति दिनांक 03.06.2015 को जारी कर दी गई है।

परिवहन विभाग

ग्रामीण परिवहन सेवा के अन्तर्गत रूटस खोले जाकर परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को पी.पी.पी. मोड़ सेवा से जोड़ने हेतु 120 नये मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

ई–ग्रास योजना–आमजन की सुविधाओं में विस्तार करते हुए परिवहन विभाग द्वारा ई–ग्रास योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के कर एवं फीस जमा करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं नेट बैकिंग के माध्यम से उपलब्ध करवायी गयी है।

आमजन को उत्कृष्ट परिवहन सेवा उपलब्ध करवाना–राज्य में बस टर्मिनल डवलपमेन्ट ऑथोरिटी का गठन किया जा चुका है। इससे निगम एवं निजी बस ऑपरेटर्स को एक ही स्टेण्ड से बस संचालित करने की अनुमति दी जायेगी। प्रतिस्पर्धा होने के कारण आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करना–आमजन को सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गयी है जिससे निजी बस ऑपरेटर्स को भी सभी मार्गों पर बसों के संचालन की अनुमति दी जायेगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम एवं सरलीकृत किये जाने हेतु निगम आगारों पर प्रभारी नियंत्रण हेतु निगम में लागू जोनल व्यवस्था को समाप्त किया गया है।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

184 स्थांनीय निकायों में से 183 स्थानीय निकायों के मास्टर प्लान राज्य सरकार से अनुमोदित।

वर्ष 2013–14 में नवघोषित 8 नगरपालिकाओं के संबंध में इनके गठन की अन्तिम अधिसूचना जारी होने के पश्चात मास्टर प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर मैट्रो फेज –1A के तहत मानसरोवर डिपो पर 100 KWP ग्रिड कनेक्टेड सौलर पावर प्लांट की स्थापना करने का निर्णय।

जयपुर विकास प्राधिकरण

ग्रीन बिल्डिग हेतु नगरीय विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त Build Up Area देने हेतु आदेश दिनांक 23.09.2014 को जारी किए गए है।

ई–ऑक्शन का कार्य दिनांक 29.07.2014 से आरम्भ कर दिया गया है। दिनांक 12.08. 2015 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 406.00 करोड रूपये की 38 सम्पतियों का विक्रय किया जा चुका है।

राजस्थान आवासन मण्डल

500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों के भवन मानचित्र मुख्यालय के स्थान पर सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

राजस्थान आवासन मण्डल की सम्पतियों के निलामी द्वारा निस्तारण हेतु 'रेवेन्यू सैल' का गठन किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत केन्द्रीयकृत व्यवस्था के स्थान पर विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के रूप में 294 बाल विकास परियोजनाओं में चरणबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।